विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : जल शक्ति विभाग

प्रश्न संख्या तारांकित : 5163

उत्तर की तिथि : 15-03-2022

विषय : विचाराधीन योजना

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री भवानी सिंह पठानिया (फतेहपुर)

सम्बन्धित मंत्री : जल शक्ति मंत्री

प्रश्न	उत्तर
क्या जल शक्ति मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सरकार पौंग बांध झील से सिंचाई या पेयजल की उठाऊ योजना बनाने का विचार रखती है; यदि हां, तो ब्यौरा दें?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

तारांकित प्रश्न संख्या 5163, जोकि श्री भवानी सिंह पठानिया (फतेहपुर) द्वारा पूछा गया है, से सम्बन्धित सूचना।

फतेहपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पौंग बांध झील से नीचे शाह नहर बैराज 52 गेट से केवल 2 उठाऊ सिंचाई योजनाएं प्रस्तावित हैं तथा कोई भी पेयजल योजना प्रस्तावित नहीं है। प्रस्तावित सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

(1) C/O Lift Irrigation Scheme from Right Bank Shah Nehar Barrage on River Beas for villages Malhanta, Samlet, Thehar Hatli, Bagroli etc. of Fatehpur Constituency in Tehsil Fatehpur Distt. Kangra. इस योजना का तकनीकी प्रस्ताव जिसकी अनुमानित लागत 7964 लाख रूपये है, प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने हेतु, स्टेट टैक्नीकल एडवाइजरी कमेटी (STAC) के द्वारा दिनांक 31.01.2022 को अनुमोदित किया गया है जिसे अब प्रदेश स्तरीय कमेटी की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाएगा। स्वीकृति उपरान्त इस योजना को भारत सरकार की स्वीकृति व वित्त-पोषण हेतु प्रस्तावित किया जाएगा। इस योजना से 1996 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा देने का प्रावधान है।

(2) C/O Lift Irrigation Scheme from Right Bank Shah Nehar Barrage on River Beas for villages Khatiar, Anoh, Bari Dhameta, Nigal etc. of Fatehpur Constituency in Tehsil Fatehpur Distt Kangra. इस योजना का तकनीकी प्रस्ताव जिसकी अनुमानित लागत 7804 लाख रूपये है, प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने हेतु, स्टेट टैक्नीकल एडवाइजरी कमेटी (STAC) के द्वारा दिनांक 31.01.2022 को अनुमोदित किया गया है जिसे अब प्रदेश स्तरीय कमेटी की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाएगा। स्वीकृति उपरान्त इस योजना को भारत सरकार की स्वीकृति व वित्त-पोषण हेतु प्रस्तावित किया जाएगा। इस योजना से 1956 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा देने का प्रावधान है।